(वाद सं0–236/4/26/2021–PCD)

22.08.2022

प्रसंगाधीन मामला पटना जिलान्तर्गत गौरीचक थाना में दिनांक–10.01.2021 को पुलिस अभिरक्षा में गौरीचक थाना कांड संख्या–338/20, दिनांक 08.01.2020 के प्राथमिकी अभियुक्त, धर्मेन्द्र मांझी, की तथाकथित पुलिस पिटाई से हुई मृत्यु से संबंधित है।

उपरोक्त के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अवलोकनोपरान्त राज्य आयोग द्वारा दिनांक–11.01.2021 को स्वप्रेरणा से मामले का संज्ञान लेकर जिला पदाधिकारी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रसंगाधीन घटना के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग की गयी।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, पटना व वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदनानुसार प्रसंगाधीन कांड में पुलिस द्वारा यू0डी0 कांड सं0–01/21, दिनांक–10.01.2021 संस्थित कर घटना की जांच प्रारंभ किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ यू0डी0 कांड सं0–01/2021, दिनांक–10.01.2021के केस डायरी की छायाप्रति समर्पित की गयी जिसके साथ मृतक का मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन व पोस्टमार्टम रिर्पोट की छाया प्रति भी संलग्न है।

जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना, सदर के प्रतिवेदनानुसार मृतक की पत्नी के अनुसार मृतक धर्मेन्द्र मांझी शराब बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। मृतक के पत्नी द्वारा अपने पति के मृत्य के संबंध में किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है। स्थानीय लोगो द्वारा बताया गया है कि मृतक धर्मेन्द्र मांझी की पत्नी ही अपने बच्चों (दो पुत्र एवं दो पुत्री) की मजदूरी करके उनका भरण–पोषण व देखभाल करती है। प्रतिवेदनानुसार उसे कृषि योग्य जमीन उपलब्ध नहीं है। दो कमरे का ईंट एवं करकट का मकान है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहती है।

केस डायरी व उसके साथ संलग्न मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के अवलोकनोपरान्त निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना से अनुरोध किया गया कि अपने स्तर से प्रसंगाधीन मामले के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रसांगाधीन यू0डी0 के संबध में जांच

निष्कर्ष प्राप्त कर संचिका के साथ संलग्न कागजातों के आलोक में अपने मन्तव्य के साथ संचिका उपस्थापित किया जाय।

उपर्युक्त के आलोक में निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा संदर्भित मामले से संबंधित संचिका में संधारित कागजातों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जांच निष्कर्ष प्राप्त कर उक्त तथाकथित घटना के संबंध में विस्तृत जांच प्रतिवेदन अपने मन्तव्य सहित संचिका में संधारित कर उपस्थापित किया गया है जो निम्नवत है :–

‘‘वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक सं0–409, दिनांक–10.01.2021 जो सहायक निबंधक(विधि), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक का कथन है कि धर्मेन्द्र मांझी को बिहार उत्पाद एवं मद्यनिषेध अधिनियम–2018 के तहत गौरीचक थाना कांड सं0–388/2020, दिनांक–08.10.2020 धारा–30(ए) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था एवं हाजत में बंद किया गया था और उसी दिन विशेष अभियान के तहत गौरीचक थाना पुलिस के द्वारा अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सबकों माननीय न्यायालय उत्पाद, पटना के न्यायालय में भेजा गया, लेकिन न्यायालय में कार्रवाई पूरी नहीं होने के कारण सभी कैदी को वापस पुनः गौरीचक थाना लाया गया और चिपुरा मोड़ के करीब धर्मेन्द्र मांझी की तबियत खराब हो गई और वे बेहोश हो गये, तब एक अन्य कैदी प्रमोद मांझी ने कहा कि इनको मिर्गी आया है तो उसे पानी छिटने पर होश आ गया फिर उसे गौरीचक थाना लाया गया, वहाँ पर इनकी तबियत खराब हो गई, तब उसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सम्पतचक ले जाया गया जहाँ से उसे बेहतर इलाज हेतु एनएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।

राज्य आयोग द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक–3084, दिनांक–17.03.2022 के पत्र के साथ सहायक पुलिस अधीक्षक, सदर, पटना का पत्रांक–1548, दिनांक–15.03.2022(पृष्ठ–209) का प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसका अवलोकन किया।

सहायक पुलिस अधीक्षक, सदर, पटना द्वारा धर्मेन्द्र मांझी के संबंध में कहा गया है कि इनकी पत्नी राजकुमारी देवी द्वारा गौरीचक थाना में दिये गये फर्दब्यान के आधार पर यू0डी0 कांड सं0–01/21, दिनांक–10.01.

2021 अंकित किया गया। जिसमें धर्मेन्द्र मांझी की मृत्यु स्वभाविक रूप से होने की पुष्टि होना पाया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस संबंध में यू0डी0 कांड सं0–01/21 के केस डायरी प्रस्तुत की गई।

गौरीचक थाना (यू0डी0) कांड सं0–01/21 में सूचिका राजकुमारी देवी के द्वारा दिये गये फर्दब्यान में कहा गया है कि उनके पति की तबियत पहले भी खराब रहती थी और उन्हें थाने से भी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और एनएमसीएच में उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पति का पहले भी इलाज हो रहा था और दवा चल रही थी। मेरे पति एक मात्रा कमाने वाले थे, जिसके दम पर परिवार चल रहा था और ओटी के सूजन के बीमारी के कारण मेरे पति की मृत्यु हुई है और किसी का कोई दोष नहीं है।

केस डायरी के पैरा नं0–2 में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (पेज नं0–203) में मृत्यु का कारण तबियत खराब होना बताया है।

केस डायरी के पैरा नं0–6 में वादिनी राजकुमारी देवी का पुनः बयान है।

केस डायरी के पैरा नं0–7 में साक्षी चन्द्रिका मांझी ने भी कहा है कि धर्मेन्द्र मांझी की मृत्यु बीमारी की वजह से हुई है। इससे पहले भी सिरदर्द, बुखार होता था और उसके मृत्यु में किसी का कोई दोष नहीं है।

केस डायरी के पैरा नं0–21 (पेज नं0–195–196–197) में पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसमें मृत्यु के कारण के संबंध में कहा गया है कि F.S.L रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का कारण पता चलेगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्दरनतल में गाल पर खरोंच और गले में हल्का सा खरोंच पाया गया और शरीर पर मारपीट का कोई भी ऐसा जख्म नहीं है जिससे स्पष्ट हो कि जख्म के कारण धर्मेन्द्र मांझी की मृत्यु हुई।

केस डायरी के पैरा नं0–28 में साक्षी चौकीदार विश्वामित्रा कुमार, एवं सिपाही प्रियरंजन कुमार सिंह, पैरा नं0–29 में साक्षी सिपाही शिवेन्द्र प्रसाद यादव, पैरा नं0–35 में साक्षी चौकीदार भरत पासवान, पैरा नं0–41 में चौकीदार संजय पासवान एवं पैरा नं0–42 में चौकीदार राम पदारथ पासवान ने अपने गवाही में कहा है कि तबियत खराब होने के कारण उसे प्राथमिक इलाज हेतु सम्पतचक ले जाया गया और वहाँ से उसे एनएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया।

सहायक अवर निरीक्षक सुजीत कुमार मिश्रा ने केस डायरी के पैरा नं0–45 में मृतक धर्मेन्द्र मांझी को न्यायालय ले जाने एवं न्यायालय से वापस लाने के क्रम में रास्ते में तबियत खराब होने और च्भ्ब् सम्पतचक में इलाज कराने और वहाँ से बेहतर इलाज हेतु एनएमसीएच रेफर करने, जहाँ पर उन्हें मृत घोषित करने एवं मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट समर्पित करने तथा पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराने की बात कही है।

केस डायरी के पैरा नं0–63 में F.S.L रिपोर्ट–No Metallic, Alkalidal, Glycosidal, Pesticia or Volatile poison Lould sedetected in the contents of glass jar and plastic bottles as described above और दिनांक–24.12.2021 तक की केस डायरी प्रस्तुत की गई है।

अनुमंडल पदाधिकारी, पटना, सदर के पत्रांक–347, दिनांक–03.08.2021 (पृष्ठ–23–25/प0) की रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिसमें कहा गया है कि मृतक की पत्नी के अनुसार धर्मेन्द्र मांझी को शराब बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया एवं शराब सेवन करने की बात कही गई है और इसमें किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है। इनके चार संतान है, जिसमें दो बेटा एवं दो बेटी है। मजदूरी करके अपने परिवार का भरण–पोषण करती है। इन्हें खेती योग्य जमीन नहीं है और दो कमरे का ईंट–करकट का घर है, जिसमें अपने परिवार के साथ रहती है।

<u>मंतव्य</u>ः–

अभिलेख में उपलब्ध सभी दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट होता है किः– 1. मृतक धर्मेन्द्र मांझी की पुलिस द्वारा पिटाई नहीं की गई, क्योंकि ऐसा कोई बाहरी या आंतरिक जख्म पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं मिला है। केस डायरी के अवलोकन एवं अभिलेख में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि धर्मेन्द्र मांझी को न्यायालय से गौरीचक थाना लाने के क्रम में तबियत खराब हुई, जिसको तुरंत इलाज हेतु पुलिस पदाधिकारी द्वारा P.H.C सम्पतचक ले जाया गया, वहाँ से उसे बेहतर इलाज हेतु एनएमसीएच रेफर किया गया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक की मृत्यु एकाएक तबियत खराब होने से हुई है, न कि पुलिस द्वारा मारपीट करने या प्रताड़ित करने से।

2. जहाँ तक मृतक की आर्थिक स्थिति का संबंध है तो अरविन्द कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना, सदर के द्वारा दााखिल मंतव्य (पृष्ठ–23/प0) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि धर्मेन्द्र मांझी(मृतक) के परिवार में एक पत्नी, दो पुत्रा एवं दो पुत्री है और पत्नी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण–पोषण करती है। इन्हें खेती योग्य जमीन नहीं है एवं दो कमरा ईंट व करकट का घर है, जिसमें वे अपने परिवार के साथ रहती है।’’

अब, जबकि पुलिस प्रतिवेदन तथा निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के **जांच प्रतिवेदन में मृतक धर्मेन्द्र मांझी की मृत्यु को एकाएक तबियत खराब होने से होना तथा पुलिस द्वारा मार–पीट करने व प्रताड़ित करने से न होना उल्लिखित किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त प्रसंगाधीन मामले के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।**

उपरोक्त वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग क स्तर से इसे संचिकास्त किय जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के प्रतिवेदन (पृ0–216–12/प0) की प्रति संलग्न कर मृतक धर्मेन्द्र मांझी के गृह पता पर उनकी पत्नी/आश्रित को सूचनार्थ भेज दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>